संख्या- 25/2022/बी-1-781 /दस-2022

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
(बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 21 नवम्बर, 2022**

विषयः लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड का आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-22/2022/बी-1-713/दस-2022 दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटित किये गये हैं ।

2. उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (लेखा शाखा), उ.प्र., लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 के क्रमांक संख्या-9 में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), बाँदा के लिए आवन्टित डी.डी.ओ.कोड संख्या-4907 को निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

3. उक्त शासनादेश दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 25/2022/बी-1- 781 (1)-दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, बाँदा ।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10.
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in